

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015—भाद्र 20, शक 1937

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. 4-50-2013-पचपन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-4-50-2013-पचपन-2 LV, दिनांक 29 जून 2013 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन किया गया है. उक्त अधिसूचना पृष्ठ क्रमांक 560 (1) की कंडिका क्रमांक 07 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका क्र. 7 का प्रतिस्थापन किया जाता है.

7. Project under the policy:—Only those Projects will be considered under this policy whereby the investor proposes to establish a new Medical college with associate hospital as per MCI norms on land owned by Government of Madhya Pradesh. Investors desirous of establishing Medical College on their own land may apply directly to Director Medical Education For Essentiality Certificate. Investors may refer to norms of MCI for establishing a Medical college.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.